रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938
No. 358] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

सा.का.नि. 533(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) योजना, 2016 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल योजना कहा गया है) में, पैरा 12 में, उपपैरा (8) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि सदस्य इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी रोजगार को प्राप्त नहीं करता है और छोड़ने की तारीख को दस वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, परंतु अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और छत्तीस मास की निरंतर अवधि बीत जाने से पूर्व जिसके दौरान पेंशन निधि में सदस्य के संबंध में अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी दशा में प्राप्त अंशदान की रकम मासिक विधवा पेंशन या बाल पेंशन में परिवर्तित की जाएगी तथा ऐसी दशाओं में विधवा पेंशन की गणना सारणी ग और बाल पेंशन प्रत्येक बालक के लिए (दो तक) उसके 25 प्रतिशत में अधिकथित पैमाने पर की जाएगी:

परंतु यह और कि यदि कोई विधवा नहीं है तो अनाथ पेंशन उस रकम के 75 प्रतिशत की दर पर संदेय होगी, जो पैरा 16 के उपबंधों के अध्यधीन विधवा पेंशन के रूप में संदेय होती:

परंतु यह और भी कि यदि सदस्य इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी रोजगार को प्राप्त नहीं करता है और छोड़ने की तारीख को दस वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, परंतु अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, छत्तीस मास की निरंतर अवधि बीत जाने के पश्चात् जिसके दौरान पेंशन निधि में सदस्य के संबंध में अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है, तो कुटुंब पैरा 14 के अधीन प्रसुविधाओं का हकदार होगा।"।

[सं. आर – 15011/2/2016-एस एस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण - कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 748(अ) तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440(अ) तारीख 25.04.2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Third Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred as the principal scheme), in paragraph 12, for the proviso to sub-paragraph (8), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that if the member does not take up an employment coverable under this Scheme and has rendered less than ten years eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of fifty-eight years and before a continuous period of thirty-six months has elapsed during which contributions have not been received in respect of the member in the Pension Fund, the amount of contributions received in his case shall be converted into a monthly widow pension or children pension and the widow pension in such cases shall be calculated at the scale laid down in Table 'C' and the children pension at 25 per cent thereof for each child (upto two):

Provided further that if there is no widow, then the orphan pension shall be payable at the rate of 75 per cent of the amount which would have been payable as a widow pension subject to the provisions of the paragraph 16.

Provided also that if the member does not take up an employment coverable under this Scheme and has rendered less than ten years eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of fifty-eight years after a continuous period of thirty-six months has elapsed during which contributions have not been received in respect of the member in the Pension Fund, the family shall be entitled to benefits under paragraph 14.".

[No. R-15011/2/2016-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 748(E) dated 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 440(E) dated 25.04.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.